

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-483/2011/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-डी, जयपुर।

...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स लावट ज्वैलर्स प्रा.लि.
मैंहदी का चौक, रामगंज बाजार, जयपुर।

...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री नथूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री सी.एम.बटवाडा
अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.08.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27.10.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-डी, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे "बिक्री कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29 के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 के लिए पारित आदेश दिनांक 03.09.2008 जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जमा करायी गयी प्रशमन राशि रु. 40,15,000/- के चाहे गये रिफण्ड को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया है, को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करते हुए निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 4(67)एफडी/टैक्स/2004-43 दिनांक 12.07.2004 "कंपोजीशन स्कीम फॉर बुलियन एण्ड सर्टफा डीलर्स, 2004" के तहत आलोच्य अवधि में प्रशमन योजना का विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा इस स्कीम के तहत टर्न ओवर की र्लेब के अनुसार निर्धारित प्रशमन राशि तीन किश्तों में $15000+25,00,000+15,00,000/- =$ कुल 40,15,000/- प्रशमन राशि जमा करवायी गयी है। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.2007 एवं दिनांक 31.05.2007 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा 2005-06 में बुलियन राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से कर चुका खरीदा गया है अतः अपीलार्थी पर कर का कोई दायित्व नहीं बनने के कारण उक्त जमा करवायी गयी

AM

AK

लगातार.....2

प्रशमन राशि लौटाने हेतु निवेदन किया गया जिसे कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 03.09.2008 द्वारा रिफण्ड प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2010 द्वारा निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 03.09.2008 निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया है जिसके विरुद्ध राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक की ओर से कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष जो विधिक बिन्दु था उस पर विधिवत निर्णय पारित किया जा सकता था। प्रकरण में प्रतिप्रेषित करने का कोई आधार नहीं था। व्यवहारी ने स्वेच्छा से Composition Scheme का Optional लिया था। Composition Scheme के बिन्दु सं. 7.4 के अनुसार स्कीम को Opt करने के बाद उस वित्तीय वर्ष में Composition Scheme से बाहर नहीं निकल सकता। Composition Scheme में Composition Amount निर्धारित की गई है जो Turn over की Slab पर निर्धारित की गई है। इस स्कीम में Taxable Turn over को आधार नहीं बनाया गया है। एक बार व्यवहारी द्वारा Composition Scheme का विकल्प लेने के पश्चात् Composition Amount जमा करवाने के बाद इस आधार पर रिफण्ड की मांग नहीं कर सकता कि उसकी Tax liability कम है। इन्होंने राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए निर्धारण अधिकारी का आदेश यथावत रखने हेतु निवेदन किया।

5. बहस के दौरान व्यवहारी प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अविधिक है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि किसी वस्तु की खरीद पर प्रथम बिन्दु पर करारोपण के पश्चात् अपीलार्थी पर किसी प्रकार के कर के भुगतान का दायित्व नहीं रहता है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित प्रशमन राशि अविधिक एवं प्रकरण के तथ्यों के विरुद्ध है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार गोल्ड बुलियन प्रथम बिन्दु पर कर योग्य है। उन्होंने कथन किया कि विक्रेता व्यवहारी पंजीकृत व्यवहारी है तथा बुलियन एवं सरफा व्यवसाईयों के लिए जारी कंपोजीशन स्कीम प. 4(67)एफडी/टैक्स/2004-43 दिनांक 12.07.2004 के तहत पंजीयनधारी विक्रेता व्यवहारी द्वारा विक्रय पर कर का भगुतान कंपोजीशन राशि के रूप में कर दिया गया है अतः कर चुके माल पर अपीलार्थी पर कंपोजीशन राशि आरोपित किया जाना इस अधिसूचना के तहत अविधिक एवं प्रकरण के तथ्यों के विरुद्ध होने के कारण अपास्तनीय है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपने कथन कि समर्थन में अतिरिक्त आयुक्त (विधि) वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान-जयपुर द्वारा मैसर्स शिव नारायण अग्रवाल, जोधपुर के प्रकरण में जारी "DETERMINATION" दिनांक 14.11.2006

.....

.....

लगातार.....3

जो कि (2007) 7 वेट रिपोर्टर पेज 60 पर रिपोर्टर है, को उद्धरित किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने एआईआर 1995 सुप्रीम कोर्ट 700, (1998) 111 एसटीसी 746, 1985 टैक्स लॉ रिपोर्ट (एनओसी 36), एआईआर 1996 (गोवा) 1, एआईआर 1990 (बॉम्बे), (1988) ईएलटी-465 (डी-3), (1991) 32 ईएक्ससीई 276 (278), (1999) एसटीसी 114, (1979) एसटीसी पेज 401 आदि न्यायिक दृष्टांतों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आगे कथन किया कि अधिनियम की धारा 2(42) में टैक्सेबल टर्न ओवर को परिभाषित किया गया है जिसके कलॉज II के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा खरीद किये गये माल पर कर पहले ही लग चुका है इसलिए अपीलाण्ट द्वारा उस माल का विक्रय किये जाने पर अपीलाण्ट पर पुनः करारोपण नहीं हो सकता। अधिनियम की धारा 2(42) (i) एवं (ii) के अनुसार कर मुक्त माल की बिक्री को कर योग्य टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने धारा 2(42) एवं (ii) को उद्धरित किया जो इस प्रकार है :—

"(42) " taxable turnover" means that part of turnover which remains after deducting there from the aggregate amount of the proceeds of sale of goods :

- (i) One which no tax is leviable under the Act ;
- (ii) Which have been exempted from tax or which have suffered tax under this Act, subject to other provisions in the Act: and"

उन्होंने बताया कि मात्र कर योग्य आवर्त पर ही अधिसूचना के अनुसार प्रशमन राशि का निर्धारण किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक व्यवहारी ने इस बात पर जोर दिया कि विक्रय कर अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार धारा 5(1) में निर्धारित की गई Lump sum राशि धारा 4(1) में निर्धारित कर से अधिक नहीं हो सकती। व्यवहारी ने चूंकि अधिकांश माल रजिस्टर्ड डीलर से राजस्थान में खरीदा है जिस पर कर चुकता होने के कारण उसके द्वारा किया गया विक्रय कर मुक्त है जिससे व्यवहारी का कर दायित्व 40,000/- रु बनता है। प्रशमन शुल्क, उसकी कर देयता से अधिक नहीं हो सकता। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 63 के अन्तर्गत राशि रु. 15,000/- को जब्त किये जाने को अविधिक बताया है। उन्होंने इस संबंध में बताया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ग्राहकों से राशि वसूल नहीं गयी है बल्कि अपने पास से जमा करवायी गयी है अतः इस बिन्दु पर धारा 63 आकर्षित नहीं होती है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील की सुनवायी के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कुल प्रशमन राशि रु. 40,15,000/- जमा करवायी गयी है तथा अपीलार्थी का कर योग्य व्यापारवर्त रु 1,02,47,120/- होता है अतः अपीलार्थी का रु. 40,000/- चुकाने का कर दायित्व बनता है शेष जमा राशि रु. 39,75,000/- अपीलार्थी का उपर्युक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदाय योग्य है। इन्होंने अपील खारिज करते हुए प्रार्थना पत्र के अनुसार रिफण्ड लौटाने हेतु निवेदन किया।

लगातार.....4

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :—

7. अपीलीय अधिकारी के समक्ष मुख्य बिन्दु यह था कि प्रकरण में व्यवहारी को रिफण्ड दिया जाना चाहिए था या नहीं। प्रकरण में तथ्यों बाबत् कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। अपीलीय अधिकारी ने इस आधार पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है कि Composition Scheme का विकल्प लेकर व्यवहारी ने राशि रु. 40,15,000/- प्रशमन राशि के रूप में जमा करवाये है। आलौच्य अवधि में कर योग्य टर्न ओवर राशि रु. 1,02,47,120/- होता है जिस पर कर 40,000/- का दायित्व बनता है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में कोई विवेचना नहीं की गई है।

8. अपीलीय अधिकारी के समक्ष विधिक बिन्दु था जिसके सम्बन्ध में तथ्यों के आधार पर निर्णय किया जाना था। इस खण्डपीठ की की विनम्र राय के अनुसार अपीलीय अधिकारी इस बिन्दु पर स्वयं निर्णय कर सकते थे तथा प्रकरण अनावश्यक रूप से प्रतिप्रेषित किया है व कथन किया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने रिफण्ड नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में कोई विवेचना नहीं की है हांलाकि कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.09.2008 में निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश के अंतिम पैरा में रिफण्ड नहीं दिये जाने के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रशमन राशि सत्यापित बिक्री पर स्वेच्छा से विकल्प लेकर जमा करवाया है, अतः जमा प्रशमन राशि लौटाने योग्य नहीं है। इसके विपरीत अपीलीय अधिकारी ने स्वयं बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये यह कुल टर्न ओवर राशि रु. 1,02,47,120/- होने का निष्कर्ष दिया है जो विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

9. प्रकरण के मूल विवाद के निस्तारण हेतु प्रकरण में निहित विवादित बिन्दुओं के सम्बन्ध में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

10. सर्वप्रथम व्यवहारी के अपील में उठाये गये इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि Composition Amount की गणना Turnover पर की जानी चाहिए या taxable turnover पर। इस संबंध में सम्बन्धित Composition Scheme पर विचार किया जाता है। Composition Scheme for Bullion and Sarafa Dealers- 2004 के बिन्दु सं. 3.1 निम्न प्रकार है :—

3.1 The Composition amount to be paid per annum per dealer in lieu of tax shall be determined as per the following Table : -

S.No.	Turn over during the relevant year	composition Amount
1	Up to Rs. 1 lac	Nil
2	More than Rs. 1 lac and up to Rs 15 lac	Rs. 6000/-
.....
15	More than Rs. 500 Crore and up to Rs 1000 Crore	Rs. 40,00,000/-

लगातार.....5

27/

11/5

उपरोक्त सारणी में **Turn over** के आधार पर स्लेब निर्धारित की गई है जिसमें कॉलम संख्या 2 में **Turn over** शब्द का उल्लेख है। बिक्री कर अधिनियम की धारा 2(42) एवं 2(44) पर विचार किया जाता है :—

2(42) “**taxable turnover**” means that part of turnover which remains after deduction therefrom the aggregate amount of the proceeds of sale of goods :-

(i) on which no tax is leviable under this Act;

(ii) which have been exempted from tax or which have suffered tax under this Act, subject to other provisions in the Act; and

(iii) which are taxable at a point of sale within the State subsequent to the sale by the dealer and such sale is covered by a declaration as may be required under any provisions of this Act or the rules made thereunder;

Explanation : Where a works contractor, at the time of assessment, fails to show or establish the value of the goods at the point of their incorporation or use in the execution of a works contract, for the purpose of determining his taxable turnover, the value of such contract, after deduction labour or service charges therefrom, shall be taken for being apportioned for the goods not liable to tax and the goods liable to tax, along with the proportionate respective amounts of profit thereon.

(44) “**turnover**” means the aggregate amount received or receivable by a dealer for sales as referred to in clause (38) including the purchase price of the goods which are subject to purchase tax under section 11 of the Act;

Explanation : Tax charged or collected and shown separately in the sale bill/cash memorandum or in the accounts shall not form part of turnover.

Composition Scheme में **Turn over** शब्द को उल्लेख किये जाने के कारण व्यवहारी का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि गणना **taxable turnover** के आधार पर की जानी चाहिए क्योंकि **Turn over** व **taxable turnover** दोनों शब्दों का उल्लेख बिक्री कर अधिनियम में अलग—अलग रूप में हुआ है। इस प्रकार प्रकरण में Composition Amount की गणना **turnover** के आधार पर की जानी चाहिए न कि **taxable turnover** के आधार पर तथा व्यवहारी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि बुलियन पर प्रथम बिन्दु कर चुका देने के कारण उसके द्वारा विक्रय किया गया माल टैक्स पेड होने के कारण पुनः उस पर करारोपण नहीं किया जा सकता व कम्पोजिशन राशि की गणना में टैक्स पेड माल से प्राप्त विक्रय राशि को टर्न ओवर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

11. व्यवहारी ने द्वितीय महत्वपूर्ण बिन्दु यह उठाया है कि विक्रय कर अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार धारा 5(1) में निर्धारित की गई Lump sum राशि धारा 4(1) में निर्धारित कर से अधिक नहीं हो सकती। व्यवहारी ने चूंकि अधिकांश माल रजिस्टर्ड डीलर से राजस्थान में खरीदा है जिस पर कर चुकता होने के कारण उससे द्वारा किया गया विक्रय कर मुक्त है

जिससे व्यवहारी का कर दायित्व 40,000/- रु बनता है। प्रशमन शुल्क, उसकी कर देयता से अधिक नहीं हो सकता।

इस संबंध में अधिनियम की धारा 5 का उल्लेख करना समीचीन है :—

Section 5. Payment of lump sum in lieu of tax

(1) Notwithstanding anything contrary contained in the Act, the State Government may direct payment of tax in a lump sum in respect of sales of such class of goods or by such class of dealers on such terms and conditions as may be notified in the Official Gazette.

(2) The tax in lump sum specified in sub-section (1) shall not exceed the amount of maximum tax liability provided in sub-section (1) of section 4.

धारा 5(1) के अनुसार राज्य सरकार को यह शक्तियाँ प्रदत्त है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो किसी वस्तु या डीलर्स पर गजट नोटिफिकेशन के द्वारा विशेष शर्तों के अधीन lump sum tax का प्रावधान कर सकती है परन्तु यह टैक्स धारा 4(1) में निर्धारित कर से अधिक नहीं होगा। इस खण्डपीठ की राय में इसका आशय यह है कि राज्य सरकार यदि बाध्यकारी रूप से उपरोक्त प्रावधान 5(1) लागू करती है तो lump sum tax धारा 4(1) में निर्धारित कर से अधिक नहीं हो सकता और यह स्वाभाविक भी है कि विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किये गये कर से अधिक राशि lump sum tax के रूप में नहीं ली जा सकती। परन्तु यदि राज्य सरकार उपरोक्त प्रावधान 5(1) वैकल्पिक रखती है तो व्यवहारी के लिये यह छूट है कि वह चाहे तो धारा 4(1) में कर निर्धारित करवाये और यदि चाहे तो धारा 5(1) में lump sum tax का भुगतान कर देवे। विचाराधीन प्रकरण में कम्पोजिशन स्कीम वैकल्पिक थी जो कि स्कीम के प्रथम पैरा में किये गये उल्लेख " And permit registered dealer to opt for the scheme " से स्पष्ट है। स्कीम के बिन्दु संख्या 5.1 " A registered dealer opting for the scheme shall submit an application on a place paper..." के अनुसार स्वयं प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्कीम का विकल्प चुना है तथा इस संबंध में कोई विवादित स्थिति नहीं है। स्कीम के बिन्दु संख्या 7.4 के अनुसार उसी वित्तीय वर्ष में स्कीम से बाहर नहीं निकल सकता। इस प्रकार यदि राज्य सरकार द्वारा lump sum tax की व्यवस्था वैकल्पिक रखती है तो व्यवहारी इस आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता कि धारा 5(2) की राशि धारा 4(1) की राशि से अधिक है।

12. अधिनियम 1994 के अध्याय चतुर्थ (Chapter iv - Incidence and levy of tax) में धारा 3 से धारा 16 में कर उद्घग्रहण करने की अलग-अलग व्यवस्था करते हुए राज्य सरकार को अलग-अलग प्रकार से कर दर एवं कर वसूली के लिए शक्तियाँ प्रदान की हुई है। कर भुगतान के लिए धारा 4 के अलावा राज्य सरकार को धारा 5 में कर के ऐवज में एकमुश्त राशि के भुगतान की व्यवस्था करने की शक्तिया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम 1994 की

25/

1/2

लगातार.....7

धारा 5 के तहत एक अधिसूचना संख्या एफ.4(67)/टैक्स/2004-43 दिनांक 12.07.2004 जारी की गई थी जिसका शीर्षक कम्पोजिशन स्कीम फोर बुलियन एण्ड सर्टफा डीलर्स-2004 दिया गया था। इसी से समान कम्पोजिशन योजना पूर्व में दिनांक 07.05.1999 से निरन्तर जारी थी जो अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)एफडी/टैक्स डीव./99-227 जारी की गई थी एवं उसी के निरन्तर में नई योजना 2004 लाई गई थी। इस अधिसूचना के जरिये बुलियन एवं सर्टफा डीलर को यह स्वैच्छिक विकल्प दिया गया था कि वे अपने पूरे टर्नओवर पर (न कि केवल टैक्सेबल टर्नओवर पर) स्कीम में दिये गये स्लेब अनुसार एक निश्चित कम्पोजिशन राशि कर के ऐवज में जमा करा सकते हैं अर्थात् उन्हें धारा 5 के तहत विशिष्ट राशि के कर भुगतान करने की श्रेणी में रखते हुए एवं अधिनियम की धारा 4 के लेवी ऑफ टैक्स प्रावधान के होते हुए धारा 5 के अनुसार कर भुगतान की राशि निर्धारित की गई थी एवं इस स्कीम के तहत एकमुश्त राशि देने का लाभ लेने के लिये एक सुविधा दी गई थी। इस तरह अधिनियम की धारा 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा टैक्स के ऐवज में परन्तु टैक्स के रूप में एक विशिष्ट राशि दिये जाने के अधिकार के तहत अधिसूचना जारी करते हुए कर की ऐवज में एकमुश्त राशि पूरे टर्नओवर पर दिये जाने की व्यवस्था की गई थी, वह राशि तत्समय बुलियन एवं सर्टफा पर अधिनियम की धारा 4 के लिये अधिसूचित कर दर से पूरी तरह भिन्न थी। उस भिन्नता को स्पष्ट करने के लिये यह उल्लेख करना उचित है कि जहां धारा 4 में बुलियन पर कर दर दिनांक 12.07.2004 के पूर्व 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चात 1 प्रतिशत कर दर थी जबकि धारा 5 में कर के स्थान पर एकमुश्त राशि के प्रावधान के तहत दिनांक 12.07.2004 के पूर्व स्लेब अनुसार एवं उसके पश्चात भी स्लेब अनुसार पूरे टर्नओवर पर एकमुश्त राशि देने के प्रावधान थे जो कि धारा 4 की कर दर से गणनीय राशि से बहुत कम थी। यह उल्लेख करना उचित है कि अधिनियम की धारा 5 के अनुसार कर देने की योजना में विकल्प लेने पर कोई यह संशय नहीं था कि इस योजना में पूरे टर्नओवर पर एक मुश्त राशि देनी है इसी के मधेनजर जो व्यवसायी यह अनुमान रखते थे की उनके द्वारा राज्य के बाहर से माल की खरीदी अधिक होने की संभावना है अर्थात् अधिक कर योग्य माल की खरीद हो सकती है ऐसी स्थिति में उन्हें धारा 5 की कर योजना में कम कर देना पड़ेगा इस व्यवसायिक अनुमान पर धारा 5 की रीति का विकल्प लिया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य के भीतर से ही माल खरीदने की सम्भावना एवं सोच वाले व्यवसाईयों द्वारा धारा 5 का विकल्प लेने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके लिये धारा 4 की कर प्रणाली के अनुसार किसी तरह के कर देने की आवश्यकता नहीं थी।

13. उक्त विधिक विवेचन एवं अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलों के तथ्यों के मददेनजर यह स्पष्ट है कि इन अवधियों में अपीलार्थियों द्वारा धारा 5 के तहत प्रदत्त रीति अनुसार कर के भुगतान का विकल्प ले लिया गया था क्योंकि उस समय उनको यह अंदेशा

३८

११

लगातार.....8

था कि उनका अधिकतर माल राज्य के बाहर से आयेगा जो कर योग्य होगा एवं धारा 5 में कम टैक्स देने की संभावना नजर आ रही थी इसलिये धारा 5 की कर पद्धति में जाना ओप्ट कर लिया परन्तु व्यापारिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने से राज्य के बाहर से माल ना लाकर राज्य में ही माल खरीद कर लिया गया ऐसी स्थिती में चूंकि वे द्वितीय स्टेज के व्यापारी थे अतः उनका विक्रय धारा 4 के अनुसार कर देय नहीं होता क्योंकि वह सारा माल Tax paid था, परन्तु इस प्रकार केवल लाभ प्राप्त करने के लिये किसी व्यवहारी को स्वयं द्वारा प्राप्त ऑप्शन में परिवर्तन करने की अनुमति बाद में नहीं दी जा सकती। यह भी उल्लेखनीय है कि कम्पोजिशन योजना में योजना से बाहर आने की व्यवस्था भी की गई थी जिसमें उस अवधि के दौरान ही प्रार्थना पत्र पेश करके वे बाहर आ सकते थे परन्तु अपीलार्थी द्वारा वह अधिकार प्रयोग में नहीं लिया गया और समयावधि समाप्त होने के पश्चात केवल लाभ हानि के आधार पर अब धारा 5 के स्थान पर धारा 4 में कर निर्धारण चाहते हैं जिसे विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। राज्य के पंजीकृत व्यवसायियों द्वारा कर उद्घग्रहण का कार्य राज्य की विधि अनुसार किया जाता है तथा वे राज्य के साथ कर उद्घग्रहण का व्यापार नहीं करते हैं, जिससे व्यापारिक लाभ हानि के आधार पर कर का भुगतान करें। उक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि अधिनियम 1994 में कर भुगतान के भिन्न-भिन्न प्रावधान अनुसार कर देयता थी एवं प्रत्येक की रीति अलग थी एवं वे एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करती है।

14. माननीय न्यायालयों के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में भी यह सिद्धान्त मूल रूप से प्रतिपादित है कि किसी भी विधिक प्रावधानों के तहत कर का भुगतान उसमें दिये गये शब्दों एवं स्पष्ट अनुबन्धों के अनुसार ही होगा एवं यह सिद्धान्त राज्य एवं करदाता दोनों पर ही लागू होता है चूंकि इन अपीलार्थियों ने स्वैच्छा से धारा 5 में जारी अधिसूचना के तहत कर की एवज में एकमुश्त राशि दिये जाने का विकल्प लिया है तब इस अधिसूचना की शर्त संख्या 7.3 "The dealer shall not entitled to claim any deduction, set off, partial exemption or refund in respect of purchases made by him." से भी यह स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा क्रय किए गए माल से संबंधित यदि कोई रिफण्ड चाहा गया है तो वह देय नहीं है।

15. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों पर भी विचार किया जाता है। न्यायिक दृष्टान्तों एआईआर 1995 सुप्रीम कोर्ट 700, (1998) 111 एसटीसी 746, 1985 टैक्स लॉ रिपोर्ट (एनओसी 36), एआईआर 1996 (गोवा) 1, एआईआर 1990 (बॉम्बे) में यह ठहराया गया है कि बिना कानून या अवैध ठहराये गये करारोपण कानून में संग्रहण कर लिया है तो भी राज्य का दायित्व है कि वह उसे वापिस लौटाये। विचाराधीन अपील में यह बिन्दु विवादित नहीं है कि जमा करवाया कर लौटाया जा सकता है या नहीं जिनके सम्बन्ध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हैं बल्कि इस अपील में तो विवादित बिन्दु यह है कि कम्पोजिशन स्कीम के अन्तर्गत विकल्प के रूप में लेकर जमा करवायी गयी कम्पोजिशन राशि इस आधार

लगातार.....9

१८८

कला

पर लौटायी जानी चाहिए या नहीं कि व्यवसायी का टैक्सेबल टर्न ओवर कम बनता है व धारा 4(1) में देय कर की राशि धारा 5(1) में निर्धारित राशि से कम बनती है तथा विवादित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जैसा कि ऊपर विवेचना की जा चुकी है कि विकल्प के रूप में कम्पोजिशन स्कीम का ऑफशन लेने पर धारा 4(1) में कर दर निर्धारण नहीं किया जा सकता जिससे यह नहीं माना जा सकता कि व्यवहारी ने अधिक कर राशि जमा करवायी है जो रिफण्ड किये जाने योग्य मानी जावे। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत (1988) ईएलटी—465 (डी—3), (1991) 32 ईएक्ससीई 276 (278) में भी कानूनन गलती से जमा कर को वापिस लौटाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया गया है जबकि इस प्रकरण में कानूनन गलती से कर जमा करने का बिन्दु नहीं है तथा यह न्यायिक दृष्टांत भी इस दृष्टि से लागू नहीं होते हैं। न्यायिक दृष्टांतों (1999) एसटीसी 114, (1979) एसटीसी पेज 401 (एच.सी राज.) साइकल हाट ऑफ बनाम दि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के विवादित बिन्दु भी इस प्रकरण से भिन्न है क्योंकि इन न्यायिक दृष्टांतों में विवाद का बिन्दु यह है कि यदि कर प्रथम विक्रय बिन्दु पर देय है तथा आगे के विक्रय कर मुक्त है तो प्रथम विक्रेता से क्रय किये गये माल को आगे विक्रय करने पर व्यवसायी को कर नहीं देना होगा परन्तु विचाराधीन अपील में इस बिन्दु से अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं मिलती क्योंकि अपीलार्थी ने स्वेच्छा से कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प लिया है तथा कम्पोजिशन राशि जमा करवायी है परन्तु व्यवसायी धारा 4(1) में कर निर्धारण नहीं कर सकता जिससे प्रथम बिन्दु पर कर देयता के सिद्धांत पर अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं मिल सकता।

16. बहस के समय विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से यह कथन किया गया कि अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत आयुक्त द्वारा डिटरमिनेशन आदेश दिनांक 04.01.2006 में भी यही कहा गया है कि किसी माल पर प्रथम बिन्दु पर कर चुकाने के पश्चात उत्तरोत्तर विक्रय कर योग्य नहीं होगा, से भी यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की कर देयता नहीं बनती है।

विद्वान आयुक्त महोदय के समक्ष डिटरमिनेशन हेतु यह प्रश्न था कि :—

“व्यवहारी की ओर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे बाद में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 40 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा मैसर्स किरन ज्वैलर्स, जयपुर के बिल नम्बर 1620 दिनांक 20.07.2004 द्वारा स्वर्ण बुलियन क्रय किया है विक्रेता व्यापारी अधिनियम के अन्तर्गत जारी कम्पोजिशन स्कीम फॉर बुलियन एण्ड सर्फा डीलर, 1999 के तहत एक मुश्त कर जमा करवाता है और प्रार्थी द्वितीय व्यवसायी है क्या उनहें कर चुका माल के रूप में लाभ मिलेगा।”

विद्वान आयुक्त महोदय ने इस सम्बन्ध में निर्णय पारित किया है :—

“उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी माल पर प्रथम बिन्दु पर कर चुकाने के पश्चात उत्तरोत्तर बिक्री कर योग्य नहीं होगी। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने साईकिल हाट ऑफ जयपुर बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (1979) 44 एस.टी.सी. 401 के निर्णय में

यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्माता द्वारा उत्पादित माल प्रथम बिक्री के समय यदि कर मुक्त है तो आगामी विक्रय बिन्दुओं पर कर का दायित्व नहीं बनता है। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी द्वारा कम्पोजिशन स्कीम के अन्तर्गत आने वाले व्यवसायी से क्रय किया गया स्वर्ण बुलियन कर योग्य नहीं है, इसके कर चुका माना जावेगा।"

उपरोक्त डिटरमिनेशन आदेश से स्पष्ट है कि यदि किसी माल पर प्रथम बिन्दु कर चुका दिया जाता है तो आगामी विक्रेता पर कर देयता नहीं बनती है परन्तु इस डिटरमिनेशन आदेश में आगामी विक्रेता द्वारा ऐसी कम्पोजिशन विकल्प लिये जाने का उल्लेख नहीं है जबकि इस प्रकरण में आगामी विक्रेता अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कम्पोजिशन विकल्प के रूप में लिया हुआ है। अपीलार्थी ने एक बार कम्पोजिशन का विकल्प ले लिया है इसलिए इस प्रकरण में यह डिटरमिनेशन आदेश लागू नहीं होता है। साथ ही इस आदेश के प्रकाश में भी अपीलार्थी व्यवहारी को कोई सहायता नहीं मिलती है क्योंकि यह विवाद का बिन्दु नहीं है कि गोल्ड बुलियन प्रथम विक्रय पर चुकता होने के बाद पश्चात्वर्ती विक्रय पर कोई कर देयता बनती है या नहीं, बल्कि स्पष्ट है कि कर देयता नहीं बनती है परन्तु मुख्य बिन्दु यह है कि एक बार प्रशमन विकल्प लेने पर धारा 4(1) के अन्तर्गत कर निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रशमन का विकल्प कर प्रणाली की अन्य औपचारिकताओं के बदले में लिया जाता है ताकि सर्वे, लेखा जोखा आदि की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। प्रशमन का विकल्प लेने के समय भी व्यवहारी गोल्ड कहीं से भी क्रय करने हेतु स्वतंत्र था, बाद में विद-झा करना पश्चात्वर्ती नफा-नुकसान की सोच मानी जावेगी। इस प्रकार अपीलार्थी का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

17. माननीय कर बोर्ड की सम्माननीय पीठ द्वारा अपील सं. 1916, 1917, 1273/2010 मैं किरण ज्वैलर्स बनाम सहायक आयुक्त आदि अपीलों में निर्णय दिनांक 18.04.2017 द्वारा भी ऐसे समान प्रकरणों में व्यवसायियों की अपीलें इस आधार पर खारिज की है कि कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प लेने एवं राशि जमा कराने के पश्चात् इस आधार पर रिफण्ड देय नहीं हो सकता कि व्यवसायी का कर निर्धारण धारा 4(1) के अनुसार कम्पोजिशन स्कीम राशि से कम बनता है या प्रथम बिन्दु पर कर चुकता होने के कारण उसके द्वारा विक्रय किया गया माल कर मुक्त है जिस पर कम्पोजिशन राशि देय नहीं है।

18. उक्त पूर्ण विवेचन के पश्चात् यह निर्णीत किया जाता है अधिनियम, 1994 के अध्याय 4 में विहित Levy of Tax के लिये अलग-अलग प्रावधानों के अनुसार निश्चित कर देयता अनुसार कर का भुगतान करने की करदाताओं की बाध्यता है एवं राज्य सरकार द्वारा धारा 5 में जारी अधिसूचना में स्वैच्छा से विकल्प लेने के पश्चात् उसमें अंकित शर्तों की पालना करना अनिवार्य है एवं केवल व्यवसायिक लाभ के मद्देनजर शर्तों का उल्लंघन करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जा सकती।

19. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

20. निर्णय सुनाया गया।

नृ०
(नथूराम)
सदस्य

कृ०
(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष